

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

राज अदालत
व इजलास
अनवान -

सहायक कलक्टर (SDO), चौहटन
कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

मुकाम

चौहटन

वादीगण -

1. इरामत पत्नि हनीफ 2. अईब पुत्र पमा 3. वली पुत्र पमा
जातियान मुरालमान, निवारी जाम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाउगर

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. इलम 2. मुराद 3. रहमान 4. शेरखान पि. गुल 5. अली पुत्र पमा 6. जाकब पुत्र पमा के का.मु. :- जीवा पत्नि जाकब, जातियान मुरालमान, निवारी जाम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाउगर
7. तहसीलदार धनाऊ

वाद अर्न्तगत धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 36/2025

यह मुकदमा आज वारते इनफिराल कतई रु.व.रु. न्यायालय वहाजरी श्री समर्जीब विश्नोई एड. मिनजानिव मुदाई व श्री नरेश भादू एड. मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, जमाना दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद रवीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के मौजा जाम का तला (ईटादा) के खसरा सं. 780/85 रकबा 15.9851 हैक्टयर का अर्न्तगत हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिससानुसार पक्षकारों के अर्न्तगत निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेप पूरा पर, बीज मवलिंग वावत पर्याप्त मुकदम के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख सुलप्रार्थी तक को अदा करे।

वरात मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक **18.7.25** को जारी की गई।



मुद्रा

दस्तखत
आहदा

**सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन**


क्रमांक	ख्या	प	मुदयबद	विवरण
			राम वरखतनाम	
			राम वली	
			मदनमोहन वकील पर यम	
			महादेव शीतल वकील पर यम	
			रजय वकील पर यम	
				के व
				करना

नोट :- इस खर्च के फार्मे पर कुल खर्चा दर वा फरीकन का वाद बिकरी के जरिये दिया

करना

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)	किरम	लगान
1	इसमत पत्नि हनीफ, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	07.9925	बा.सा.	01.48
2	अईब पुत्र पमा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	01.5985	बा.सा.	00.30
3	वली पुत्र पमा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	01.5985	बा.सा.	00.30
4	अली पुत्र पमा 1/3, जीवा पत्नि जाकब 1/3, इलम, मुराद, रहमान, शेरखान पि.गुल 1/3, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	03.1970	बा.सा.	00.60
			780/85	01.5986	बा.सा.	00.36
	योग		02	04.7956	बा.सा.	00.96

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना वहन करेंगे।


 (कुसुमलता चौहान)
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) चौहदन
 (SDO) चौहदन

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन जिला बाड़मेर

असब वाद सं. 36 / 2025

पीठारीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस., आर.ए.एस

अनुमान

वादीगण –

1.इसमत पत्नि हनीफ 2.अईब पुत्र पमा 3.वली पुत्र पमा
जातियान मुसलमान, निवासी जाम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.इलम 2.मुराद 3.रहमान 4.शेरखान पि.गुल 5.अली पुत्र पमा 6.जाकब पुत्र
पमा के का.मु. :- जीवा पत्नि जाकब, जातियान मुसलमान
निवासी जाम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
7.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण –

वादीगण वकील – श्री रामजीवन विशनोई
प्रतिवादीगण वकील – श्री नरेश भादू (प्रतिवादी सं. 5 व 6)
शेष एकतरफा


निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.



दिनांक :- 18.7.25

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उपरोक्त अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील धनाऊ के मौजा जाम का तला (ईटादा) के खसरा सं. 780/85 रकबा 15.9851 हैक्टर में आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा न	रकबा (हेक्टर)	किस्म	नगिन
1 इरामत पत्नि हनीफ, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	07 9925	बा सा	01 48
2 अईव पुत्र पमा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	01 5985	बा सा	00 30
3 वली पुत्र पमा, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	01.5985	बा सा	00 30
4 अली पुत्र पमा 1/3, जीवा पत्नि जाकब 1/3, इलम, मुराद, रहमान, शेरखान पि.गुल 1/3, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	जाम का तला	780/85	03 1970	बा सा	00 60
			780/85	01 5986	बा सा
याग		02	04 7956	बा.सा	00 96



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जायेगा। पत्रावली मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शे निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 18.7.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) चौहटन
 (SDO) चौहटन

नक्शा किश्तवार

आम जमिनी अधिकार (SDO) चौहटल तालुका तालुका
जमाता - 1 इंच - 80 बावडी

2025

कार्यवाही - कुसुमलता चौहान, आर ए एच

श्री वीरमाराम

श्री गणेश - गणेश

अनुदान - इसमत वगैरा बनाम इत्मम इत

प्राथमिक न्यायिक आदेश 09 नियम 07 व अन्वय

अपेक्षित बावडी - 100 सीपीए



- पुर्वी इंच फा. (पुर्वी इंच फा.)
- अपेक्षित इंच फा.
- पुर्वी इंच फा.
- अपेक्षित इंच फा.

अ.नि. वली (वादी)

अ.नि. वली (प्रतिवादी)

अ.नि. वली (वादी)

इसमत (वादी)

दिनांक: 15/05/2025

Handwritten signature in blue ink.

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटल

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटल